98
02.3.2021

FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**प्रतिवादी/अभियुक्त**
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही	फर्मः	मोहन सिंह पुत्र श्री मोहब्बत सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– राजगढ, पो. लुणोल, तह. रेवदर, जिला– सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) आशापुरा रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, देलवाडा माउन्ट आबू, जिला– सिरोही

किस्म मुकदमा – **धारा 26(2)(ii) एवं 51**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 **प्रकरण संख्याः** 19/2021

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	**नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए**
02.3.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त मोहन सिंह के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में आज दिनांक 02.3.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी मोहन सिंह पुत्र श्री मोहब्बत सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– लुणोल, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक, फर्म आशापुरा रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, देलवाडा, माउन्ट आबू उपस्थित हुये। प्रतिवादी को नोटिस एवं आरोप पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई ग[illegible] प्रति[illegible] जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खा[illegible] सुरक्षा [illegible]धिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा [illegible] दिनांक 26.11.20[illegible] जिस सेव टमाटर सब्जी का [illegible] के लिये [illegible] था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार स[illegible] पाया गया है। मैं बाजार से खाद्य तेल, नमकीन सेव मसाले पैकिंग [illegible]स्था में लेता हूँ। खाद्य तेल, नमकीन सेव, मसालों से सेव टमाटर की सब्जी ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

...जिला मजिस्ट्रेट
...ही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.19/2021	नम्बर व तारिख अहकाम, जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

बनाकर ग्राहक की मांग पर बेचता हूँ। उक्त सामग्री के अलावा मैनें कोई वस्तु सेव टमाटर सब्जी में नही मिलाई है। मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में अच्छी किस्म की खाद्य वस्तुयें उपयोग करुंगा। अतः मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड सेव टोमेटो (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 26.11.2020 को समय 11.15 पी.एम. पर फर्म आशापुरा रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी मोहन सिंह पुत्र श्री मोहब्बत सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– राजगढ, पो. लुणोल, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, ,खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आशापुरा रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो रेस्टोरेन्ट में आम जनता को प्रोपराईटरी फूड सेव टोमेटो (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले प्रोपराईटरी फूड सेव टोमेटो (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए रेस्टोरेन्ट के अन्दर स्टील के भिगोने में बिक्री हेतु मौजूद प्रोपराईटरी फूड सेव टोमेटो (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) लगभग 4 किलोग्राम को अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया व इस एकरुप किये गये प्रोपराईटरी फूड सेव टोमेटो (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) में से 2 किलोग्राम प्रोपराईटरी फूड सेव टोमेटो (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) को एक साफ सूखे खाली भिगोनें में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड सेव टोमेटो (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) के नमूना संख्या 1292

लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.19/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./998/Act/2020/996 दिनांक 28.12.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फर्म आशापुरा रेस्टोरेन्ट में खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मालिक प्रतिवादी मोहन सिंह ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड सेव टोमेटो (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी मोहन सिंह पुत्र श्री मोहब्बत सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– राजगढ़, पोस्ट– लुणोल, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आशापुरा रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी मोहन सिंह पुत्र श्री मोहब्बत सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– राजगढ, पोस्ट–लुणोल, तहसील–रेवदर, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित की जावे। मिसल जरिये जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 22.3.2021 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shri Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही